रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012026-269585
CG-DL-E-27012026-269585

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24, 2026/माघ 4, 1947
No. 342] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24, 2026/MAGHA 4, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2026

का.आ. 370(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3833 (दिनांक 3 अगस्त, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-29 एक्सटेंशन के सोनौली – गोरखपुर खंड के किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 80.000 तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात प्राधिकरण कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

और यतः, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ 1611(अ) दिनांक 16 अप्रैल, 2019 और अनुवर्ती संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 4382 (अ) दिनांक 25 सितंबर, 2025 द्वारा केंद्र सरकार ने प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग - 24 (पुराना एनएच-29ई) के सोनौली से गोरखपुर खंड के डिज़ाइन किमी. 0.000 (मौजूदा चेनेज किमी. 0.000) से डिज़ाइन किमी. 81.412 (मौजूदा चेनेज किमी. 80.000) तक के दो लेन वाले पेव्ड शोल्डर के उपयोग के लिए अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से टोल संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया था;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8 ए (जिसे इसके पश्चात "नियम कहा गया है) द्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1611 (अ) दिनांक 16 अप्रैल, 2019, और का. आ. 4382 (अ) दिनांक 25 सितम्बर, 2025 का, उन बातों के सिवाय, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने से

छूट गई हैं, अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार एतदद्वारा यह सूचित करती है कि यह अधिसूचना मौजूदा दो-लेन वाले सोनौली-गोरखपुर खंड के चल रहे चार-लेन के कार्य की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) से लागू होगी। तदनुसार केंद्र सरकार एतदद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (पुराना एनएच-29ई) पर सोनौली से गोरखपुर खंड के डिज़ाइन किलोमीटर 0.000 (मौजूदा चेनेज किलोमीटर 0.000) से डिज़ाइन किलोमीटर 79.54 (मौजूदा चेनेज किलोमीटर 80+295) तक चार लेन वाले पेव्ड शोल्डर के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक वाहनों के प्रकार पर निवल सड़क लंबाई 74.200 किमी (सारणी 2) सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दरों का और दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत वाले 5.340 किमी लंबाई वाले (सारणी 3) बाईपास के उपयोग के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दरों का डेढ़ गुणा की दर से शुल्क उद्ग्रहीत करेगी एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी - 1

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 08-2007के लिए प्रति किआधार .मी. (रुपए में) शुल्क दर**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (ई.एम.ई) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (.एम.सी.एच) (चार से छह धुरी वाले) (.वी.ए.एम) या बहुधुरीय वाहन	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्कऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क , ,प्लाजाओं में देय और संदेय होगीअर्थात- :

सारणी - 2

शुल्क प्लाजा का स्थान(चेनेज)	**प्रभावित खंड**	**लम्बाई (में.मी.कि) जिसके लिए शुल्क देय है**	**वह दर जिस पर शुल्क देय है**
महाराजगंज जिला में गाँव चंडिथान के पास में कि.मी. 13.700 पर (मौजूदा चेनेज कि.मी. 13.665 पर)	कि.मी. 00.000 से कि.मी. 39.770 तक	39.770	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का %100
गोरखपुर जिले में जंगल कौड़िया गांव के पास कि.मी. 77.476 पर (मौजूदा चेनेज कि.मी. 78.137 पर)	कि.मी. 39.770 से कि.मी. 79.540 तक	34.430	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का %100

2. उपर्युक्त के अतिरिक्तनिम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के , उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई -:के लिए होगा

सारणी - 3

शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	**बाईपास का नाम**	**पर आरंभ होते हुए**	**पर मिलते हुए**	**बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (किमी में)	लागत (रु करोड़ में)	

गोरखपुर जिले में जंगल कौड़िया गांव के पास कि.मी. 77.476 पर (मौजूदा चेनेज कि.मी. 78.137 पर)	पीपीगंज बाईपास	डिज़ाइन कि.मी. 68.520 (मौजूदा कि.मी. 71.516)	डिज़ाइन कि.मी. 73.860 (मौजूदा कि.मी. 75.216)	5.340	121	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी 1- में उल्लिखित आधार दरों का150 %

3. ऐसे व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर जो गैरवाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन का स्वामी - तीन सौ) रुपये 340.00 के लिए 26-2025 वर्ष ,है तथा शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर रहता है जो प्रावधानों के अनुसार ,है (चालीस रुपये मात्र उक्त नियम में प्रत्येक वर्ष के संशोधन के अधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर एकाधिक यात्राओं के लिए, निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात:

सारणी - 4

देय राशि	अधिकतम संख्या एक अनुमत यात्रा मार्ग	वैधता की अवधि
एक तरफ की यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीने

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित हैवहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों , को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50%होगाबशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के , उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्तिराष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार ल ,दे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए कथित नियमों के नियम10 ,के उप1 नियम-ए में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएंवैकल्पिक ,सर्विस रोड ,छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी ,इनके अनुज्ञेय भार ,यांत्रिक वाहनों की श्रेणी , सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसारउपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया , जाएगा।

9. उपर्युक्त सारणी 1 –में यथा उल्लिखित आधार वर्ष .के लिए प्रति कि 2008 – 2007मी .शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अँग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2703₹.97 करोड़ रुपये है। चूंकि भूमि ,अधिग्रहणउपयोगिता , पूंजीगत लागत परिवर्तन के ,इसलिए ,इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है ,पेड़ों को काटने ,स्थानांतरण अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. यूपीडीआईवी-21015/244/2025- भाराराप्रा-क्षे.का. वाराणसी (उ.प्र. पूर्व) /ई- 259648]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2026

S.O. 370(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.3833(E) dated the 3rd August, 2018, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government had entrusted the stretch from Kilometer 0.000 to Kilometer 80.000 of Sonauli – Gorakhpur Section of National Highway-29 Extension in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, by notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways numbers S.O.1611(E) dated 16th April, 2019 and its subsequent amendment notification number S.O. 4382 (E) dated 25th September, 2025, the Central Government had authorised the authority to collect, either through its official or through a Contractor, for the use of two laning with paved shoulder of Sonauli to Gorakhpur Section from Design Km. 0.000 (Existing chainage Km. 0.000) to Design Km. 81.412 (Existing chainage Km. 80.000) of National Highway No. 24 (Old NH- 29E) in the State of Uttar Pradesh ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways numbers S.O. 1611(E) dated 16th April, 2019, and S.O. 4382(E) dated 25th September, 2025, except as respects things done or omitted to be done under such supersession , the Central Government hereby notifies that this notification shall come into force with effect from the Commercial Operation Date (COD) of the ongoing four-laning work of the existing two-lane Sonauli–Gorakhpur section. Accordingly, the fee shall be levied on the type of vehicles specified in column (1) of the Table-1 at the base rate specified in column (2) of the Table-1 below for the net road length of 74.200 kilometer [Table-2], and at one and half times the base rate specified in column (2) of the Table-1 for bypasses having length of 5.340 kilometer [Table-3] costing rupees ten crore or more, for the use of four lane with paved shoulders of Sonauli to Gorakhpur section from design kilometer 0.000 (existing chainage kilometer 0.000) to design kilometer 79.54 (existing chainage kilometer 80+295) on National Highway number 24 (old NH-29E) in the state of Uttar Pradesh and the Central Government hereby authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table- 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table -2			
Location of Fee Plaza (chainage)	**Influence Section**	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At km 13.700 (Existing chainage at km 13.665) near village Chandithan in Dist. Maharajganj	Km 00.000 to km 39.770	39.770	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 77.476 (Existing chainage at km 78.137) near village Jungle kaudia in Dist. Gorakhpur	Km 39.770 To km 79.540	34.430	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) : -

Table -3						
Location of Fee Plaza (chainage)	**Name of the Bypass**	**Taking Off**	**Merging at**	**Length and Cost of bypass for which for which additional fee is payable**		**Rate at which fee is payable**
				Length (in Km)	**Cost (in Rs. Crore)**	
At km 77.476 (Existing chainage at km 78.137) near village Jungle kaudia in Dist. Gorakhpur	Pipiganj Bypass	Design km 68.520 (Existing km 71.516)	Design km 73.860 (Existing km 75.216)	5.340	121	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 340.000 (Three Hundred and Forty Rupees only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table -4		
Amount Payable	**Maximum number of one way journeys allowed**	**Period of validity**
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be

entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 2703.97 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized.

[F. No. UPDIV-21015/244/2025-NHAI- RO Varanasi (UP East) /E-259648]
CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.01.27 14:57:19 +05'30'